

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर
सं0- 19 /11/कम्प्यू0अनु0/2016/3-परीक्षा-2016
लखनऊ: दिनांक- 26 जून, 2020

आवश्यक सूचना


आयोग के विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा-2016, ग्राम विकास अधिकारी (सा0च0) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2016 के अंतर्गत विज्ञापित ग्राम विकास अधिकारी के कुल 3133 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण तथा साक्षात्कार के उपरान्त अंतिम रूप से सफल घोषित कुल 2947 अभ्यर्थियों के परिणाम से संबन्धित आयोग की सूचना सं0-20/11/कम्प्यू0अनु0/2016/3-परीक्षा-2016, दिनांक-18 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गयी थी।

आयोग की उक्त सूचना में अन्तिम चयन परिणाम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में 116 अभ्यर्थियों का परिणाम शैक्षिक अर्हता, जन्मतिथि, सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र या आरक्षण के अभिलेख पूर्ण या स्पष्ट नहीं होने के कारण विदहेल्ड किया गया था। आयोग द्वारा सुनवाई कर लिए गये निर्णय के अनुक्रम में इन विदहेल्ड किये गये 116 अभ्यर्थियों में 98 अर्ह अभ्यर्थियों की संस्तुति अध्याचनकर्ता विभाग को प्रेषित की गयी एवं 18 अभ्यर्थी अनर्ह पाये गये।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0-18049/2019 विवेक कुमार श्रीवास्तव व 04 अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0-18798/2019 आवेश कुमार व 05 अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26-11-2019 के समादर में मा0 आयोग द्वारा लिए गये निर्णयों के अनुक्रम में 18 विदहेल्ड अभ्यर्थियों के स्थान पर अनुपूरक परिणाम तैयार किया गया, जो कि आयोग की बैठक दिनांक-23-06-2020 में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

उपर्युक्त से संबन्धित अभ्यर्थियों का अनुपूरक चयन परिणाम उनके अर्हता/अभिलेख परीक्षण एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में विदहेल्ड अभ्यर्थियों द्वारा योजित/योजित की जाने वाली रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा।

सर्वसाधारण के सूचनार्थ ग्राम विकास अधिकारी पद की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम (01 पृष्ठ) तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या-944/गोपन अनुभाग/1/17/2016/2020, दिनांक-26-06-2020 द्वारा उक्त चयन परिणाम से संबन्धित कट ऑफ अंक (01 पृष्ठ) यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
संलग्नक- यथोपरि।


(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
सचिव।

UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION COMMISSION, LUCKNOW

SELECTED CANDIDATES OF VDO (GENERAL SELECTION)
COMPETITIVE EXAMINATION, 2016 (18 POST)

(SUPPLEMENTARY RESULT)

ADVT.- 03-EXAM/2016

POST NAME- VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER

UNRESERVED

00005717
00085443
00126271
00154347
00198970
00223127
00275620
00277982
00354884

SC

00184030
00262272

ST

00100070
00360254

OBC

00012608
00125185
00209004
00232801
00275522

नोट-क्षैतिज आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थी अपनी-अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं।

SS
26.06.2022
(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
सचिव।

M *h* *अग्निहोत्री*

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
 पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,
 संख्या:-944 / गोपन अनुभाग / 1 / 17 / 2016 / 2020
 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2020

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2016 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारी के विदहेल्ड अभ्यर्थियों के अनर्ह होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त (Unfilled) 18 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर तैयार किये गये अनुपूरक चयन परिणाम के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का कट-आफ अंक निम्न प्रकार है:-

लम्बवत् आरक्षण

श्रेणी	अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक (लिखित+साक्षात्कार=प्राप्तांक)	अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि
अनारक्षित	66+12=78	10.07.1991
अनुसूचित जाति	58+12=70	23.06.1994
अनुसूचित जनजाति	46+11=57	05.02.1989
अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सापेक्ष रिक्त पदों हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के क्षैतिज आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।	

क्षैतिज आरक्षण

श्रेणी	अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक (लिखित+साक्षात्कार=प्राप्तांक)	अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि
महिला	52+12=64	14.03.1995
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	53+11=64	12.02.1997

टिप्पणी- कार्मिक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक 11.05.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के नियम-8(2)(चार) के अनुसार- यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त करें, तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो सूची में उस अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा, जो आयु में ज्येष्ठ होगा। उपर्युक्त नियमावली में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त परिणाम तैयार किया गया है।

✓ ✍ ✍

92
26.06.2020
(आशुतोष मोहन आग्निहोत्री)
सचिव।